न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला-अशोकनगर म०प्र0

दांडिक प्रकरण क-394 / 12 संस्थित दिनांक— 27.09.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन

विरुद्ध

सोनू पुत्र हरीसिंह रघुवंशी उम्र 27 साल, निवासी ग्राम डोंगरा जिला अशोकनगर म०प्र०

.....अभियुक्त

-: <u>निर्णय</u> :--(आज दिनांक 12.08.2017 को घोषित)

- 01-अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 327, 341, 506 भाग-दो आरोप है कि उसने दिनांक 11.09.2012 को समय रात्रि 09:30 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी पुराना बस स्टेण्ड चंदेरी स्थित अशोका होटल के सामने लोक स्थल पर फरियादी जयराम को अश्लील शब्द मादर चोद की गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी जयराम से शराब पीने के लिये 200 / - रूपये उद्धापित करने के प्रयोजन से उसके साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं जयराम धोबी का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित कर उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।
- 02-अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि उसने दिनांक 11.09.2012 को फरियादी जयराम खाना लगवाकर करीब 09:30 बजे अशोक होटल के सामने खडी बस में आया तो बस में सोनू रघुवंशी जो ग्राम डोगरा का रहने वाला है, जो एच०एम०टी० बस में चलता हैं बैठा मिला। जयराम ने बोला दारू पीने के लिये दो सौ रूपये दो, इस जयराम बोला उसके पास पैसें नही हैं तो सोनू बोलता है कि कडेक्टर से पैसे लेकर आ नहीं तो बस नहीं चल पायेगी और जयराम को मादर चोद व बहन की गालिया देने लगा, जयराम ने गालिया देने मना किया तो सोनू ने जयराम को जोर से लात मारी जिससे वह जमीन पर गिर गया, और लातघूंसों से मारपीट करने लगा, जयराम भागने लगा तो रास्ता रोक लिया, आगे जाने नही दिया और कहने लगा कि पैसे नही दिये तो जान से खत्म कर दूंगा।

- 03—अभियोजन के अनुसार उक्त घटना बल्लू उस्ताद कल्ला कंडेक्टर, चुगरू और दीनानाथ ने देखी। फरियादी जयराम द्वारा उक्त दिनांक को पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 294/12 अंतर्गत धारा— 341, 294, 323, 506, 327 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.08.2017 को फरियादी जयराम द्वारा अभियुक्त पर आरोपित अपराध का शमन करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्त को भादवि की धारा 294, 323, 341, 506 भाग—दो के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 327 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।
- 05—अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।
- 06-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 11.09.2012 को समय रात्रि 09:30 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी पुराना बस स्टेण्ड चंदेरी स्थित अशोका होटल के सामने फरियादी जयराम से शराब पीने के लिये 200/— रूपये उद्धापित करने के प्रयोजन से उसके साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित ?
 - 2. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::</u>—

- 07— फरियादी जयराम धोबी (अ०सा०—1) का अपने कथनों में कहना है कि 5 साल पहले रात्रि 8—9 बजे की घटना हैं। इस साक्षी का कहना है कि अभियुक्त बस में डायवरी करता है कि तथा वह स्वयं की बस पर चलता है। फरियादी के अनुसार घटना के समय वह मुंगावली चंदेरी रोड पर पशु अस्पताल के पास बस साफ कर रहा था तो अभियुक्त भी वहीं खडा था। फरियादी का कहना है कि उसने अभियुक्त से अपने उधारी के पैसें मांगे थे तो अभियुक्त ने उसके साथ मुंहवाद कर उसे मां बहन की अश्लील गालिया दी थी और अभियुक्त उधारी के पैसें नहीं दे रहा था इसलिए उसने पुलिस थाना चंदेरी में जाकर प्रदर्श—पी 1 रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।
- 08— फरियादी जयराम धोबी के न्यायालय में दिये गये कथनों के अनुसार अभियुक्त से उसका विवाद उसके स्वयं के उधारी के पैसें मांगने पर से हुआ था, जिसमें अभियुक्त ने उसके साथ मुंहवाद कर गाली—गलौच की थीं। जबिक प्रकरण में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी 1 के अनुसार अभियुक्त के द्वारा फरियादी से शराब के लिये 200 की मांग किये जाने पर एवं रूपये न दिये जाने पर फरियादी के साथ मारपीट कर उपहित कारित की गयी थी। अतः फरियादी जयराम धोबी (अ0सा0—1) के द्वारा न्यायालय में मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन उसके द्वारा लेखबद्ध करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी 1 से मेल नही खाती हैं जिससे फरियादी के कथनों की पुष्टि प्रदर्श—पी 1 से नही होती हैं।
- 09— फरियादी जयराम धोबी (अ०सा०—1) के न्यायालीन कथनों में घटना घटित होने का कारण एवं प्रदर्श—पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में लेखबद्ध करायी गयी घटना में अंतर हैं तथा दोनों ही घटनाएं एक दूसरे की विपरीत हैं जिससे फरियादी जयराम धोबी (अ०सा०—1) के न्यायालीन कथनों एवं प्रदर्श—पी 1 में उल्लेखित घटना में स्पष्ट रूप से गंभीर विरोधाभाष देखा जा सकता है जो कि तात्विक स्वरूप का हैं। फरियादी का अपने न्यायालीन कथनों में कही भी यह कहना नही है कि अभियुक्त ने उससे शराब पीने के लिये 200/— रूपये की मांग की थी व रूपये न देने पर उसके साथ मारपीट की थीं। फरियादी जयराम स्वयं की उधारी के पैसों की मांग को लेकर अभियुक्त से विवाद होना बताता है तथा इस साक्षी के अनुसार उपरोक्त विवाद में भी केवल

मुंहवाद हुआ था।

- 10— जयराम धोबी (अ०सा0—1) के द्वारा फरियादी होते हुये भी आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी का उसका विस्तार पूर्वक परीक्षण किया गया, जिसमें इस साक्षी ने इस बात का स्पष्ट खण्डन किया कि अभियुक्त ने उससे शराब के लिये 200/— रूपये की मांग की थी तथा रूपये न देने पर उसके साथ मारपीट कर उपहित की थी फरियादी का स्वयं ही कहना है कि उसने न तो पुलिस को ऐसी रिपोर्ट करायी और न ही पुलिस को ऐसे कोई कथन लेखबद्ध करायें।
- 11— परिणामस्वरूप फरियादी जयराम धोबी (अ०सा०—1) के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कथन न देने से एवं घटना में स्वयं की उधारी के पैसों को लेकर मात्र अभियुक्त से मुंहवाद होने की घटना बताने के कारण साक्ष्य के अभाव में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 11.09.2012 को समय रात्रि 09:30 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी पुराना बस स्टेण्ड चंदेरी स्थित अशोका होटल के सामने फरियादी जयराम से शराब पीने के लिये 200/— रूपये उद्धापित करने के प्रयोजन से उसके साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित।
- 12— फलतः अभियुक्त सोनू पुत्र हरीसिंह रघुवंशी के विरूद्ध को कारित हुयी उपहित के संबंध में भादिव की धारा 327 के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा0द0वि0 की धारा 327 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त ६ गोषित किया जाता है।
- 13— <u>अभियुक्त सोनू पुत्र हरीसिंह रघुवंशी</u> की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नही।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)